

30/18

पंजाबी पेशा दुई, वसीख वही
उपस्थित है रिपोर्ट में रिपोर्ट तलब
हो चुकी है पंजाबी वही रजिस्ट्रार
हो। वसीख वही ने सब का सब
सोचना कि दुखती इजाजत पेश
करे। पंजाबी वसीख वही
होकर पंजाबी रिपोर्ट 4.5.18 को
पेश है।


And
30.4.18

45/18

पंजाबी आज राजा लोक अदालत वही
आपके हाट केस को र. उ. मां. 10
रहता में पेश है। वारीगन बिप
उपस्थित। वारीगन वही पहिचान संपन्न
आपने पेशता रहता ने वही है वारीगन
हाट वड प्राप्त मही के सम्बन्ध का पेश
कर निवेदन किया कि वड प्राप्त मही के
रिकार्ड में वारीगन सख्या 1 लगभग 3 मी
वलिमत जलत इ हाट हो गयी है जिसे
दुरुस्त करवाया जाकर रिकार्ड में अमल
दरायद करवाया जावे।

उक्त वड पर के सम्बन्ध में मोके
पर केस स्थल पारी तहसील वही से
पिछले ली गयी। पंजाबी का अवलोकन
है वारीगन वही वड पर पर हुजने
पुन तहसील वही से ली गयी रिपोर्ट

के स 2 पर आप पचापत रहता की रिपोर्ट



कार्यकर्ता

राजा राम
धर्मराज
राजा

रामा वतार जाट

And

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

के आधारे पर एवं लोक अदालतों के उपस्थित सौकरियत से भारतीय लोक एवं लोक अदालत हेतु गठित समिती के निर्णय अनुसार वाउ प्राप्त आयकी सं. नं. 187, 187 से 187, 318, 318 तक कुल किता 10 कुल नम्बो 18 बीधा 6 बिला निधत ग्राम 282डा तमिल बस्ती जिला जयपुर में वापसी गेला (नं. 3 की वजिमत हरेड के स्थान पर लक्ष्मण अंकित का स्थान किमार्ड को दुमस्त वजे के आदेश दिने जाते है व हलनपर बस्ती के आदेश दिना जाता है कि उक्त वाउ प्राप्त मुक्ति में उमंगनुसार राजस्व किमार्ड में अमल दामनद का स्थान किमार्ड को दुमस्त को। दिनी पूर्वा जाती हो। निर्णय क दिनी कीपालना हेतु रद्दीर जाती हो।

आज्ञा दिनांक 4.5.18 को पर निर्णय व्यापक रूप से 512 केस को 282डा में सजसे आम में पुनर्प्राप्त।

मायाशमा
 सहायक
 ग्राम निवासी टहल
 पं. नं. बस्ती (जयपुर)

Bmd
 4.5.18
 सहायक कलेक्टर एवं
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 बस्ती जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अजलास
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर

- | | | |
|---|------|---|
| 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर। | बनाम | 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर। |
| 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर। | | |
| 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर। | | |
| 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर। | | |
| 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर। | | |

दावा बाबत घोषणा एवं दुरुस्ती इन्द्राज

मुकदमा नम्बर 27/18

वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 187 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 187/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 187/2 रकबा 3 बिस्वा, 187/3 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 187/4 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 187/5 रकबा 1 बीघा, 187/6 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 368 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, 368/1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 368/2 रकबा 17 बिस्वा कुल कित्ता 10 कुल रकबा 18 बीघा 6 बिस्वा स्थित ग्राम टहटडा तहसील बस्सी जिला जयपुर में वादीगण संख्या 1 लगायत 3 की बल्दियत हरदेव के स्थान पर लक्ष्मण अंकित कर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि में उक्तानुसार अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करे।

.....निजी.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा.....
इस मुकदमों का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 04.05.2018 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट टहटडा में मजम आम में सुनाया गया।

मोहर

ओहदा

दस्तख्त

Bnd
4.5.18

मुददई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस			फीस		
कमिश्नर			कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलेक्टर एवं